

बिहार सरकार,
कृषि विभाग।

पत्र संख्या- पी0पी0एम0-09/2012

०४

/कृ०, पटना, दिनांक-०२-०१-२०१८

प्रेषक,

सुधीर कुमार,
प्रधान सचिव
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

(+) अनौपचारिक रूप
से परामर्शित।

द्वारा : वित्त विभाग, बिहार, पटना। (+)

विषय : कृषि परिसर मीठापुर, पटना में संयुक्त कृषि भवन, प्रशिक्षण केन्द्र, आवासीय भवन का निर्माण तथा परिसर के आधुनिकीकरण की योजना का वित्तीय वर्ष 2017-18 एवं 2018-19 तक अवधि विस्तार एवं वर्ष 2017-18 में 3000.00 लाख (तीस करोड़) रुपये तथा वर्ष 2018-19 में 4723.49 लाख (सैतालीस करोड़ तेइस लाख उनचास हजार) रुपये कुल 7723.49 लाख (सतहत्तर करोड़ तेइस लाख उनचास हजार) रुपये की स्वीकृति एवं इसके अधीन वर्ष 2017-18 में 3000.00 लाख (तीस करोड़) रुपये की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति।

आदेश:- स्वीकृत।

विभागीय राज्यादेश संख्या 5426 दिनांक 01.10.2012 के क्रम में कृषि परिसर मीठापुर, पटना में संयुक्त कृषि भवन, प्रशिक्षण केन्द्र, आवासीय भवन का निर्माण तथा परिसर के आधुनिकीकरण की योजना का वित्तीय वर्ष 2017-18 एवं 2018-19 तक अवधि विस्तार एवं वर्ष 2017-18 में 3000.00 लाख (तीस करोड़) रुपये तथा वर्ष 2018-19 में 4723.49 लाख (सैतालीस करोड़ तेइस लाख उनचास हजार) रुपये कुल 7723.49 लाख (सतहत्तर करोड़ तेइस लाख उनचास हजार) रुपये की स्वीकृति एवं इसके अधीन वर्ष 2017-18 में 3000.00 लाख (तीस करोड़) रुपये की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. विभागीय राज्यादेश संख्या 5426 दिनांक 01.10.2012 द्वारा वर्ष 2012-13 से 2014-15 तक कुल 10565.00 लाख रुपये की स्वीकृति प्रदान की गयी थी। इसके विरुद्ध कुल 3382.80 लाख रुपये की निकासी कर कार्यान्वयन एजेंसी को उपलब्ध करायी गयी है। SEIAA. द्वारा Environment Clearance के कारण निर्माण कार्य रोक दिया गया था। आधारभूत संरचना के विकास प्राधिकार, पटना के पत्रांक 2196 Tech. दिनांक 19.10.2016 द्वारा योजना के समाप्ति हेतु कुल 32 माह अर्थात् दिनांक 08.03.2019 तक समय-वृद्धि की गई है। भवन के निर्माण में आंशिक रूप से बाहरी एवं आन्तरिक बदलाव तथा SEIAA. से प्राप्त Environment clearance में निर्धारित शर्तों के कारण 10565.00 लाख रुपये से 5.123% की वृद्धि होने पर 11106.29 लाख रुपये की योजना पुनरीक्षित हो गया है। योजना वर्ष 2018-19 में पूरी कर ली जायेगी (मूल प्राक्कलन अनुसूची-1 पुनरीक्षित अनुसूची-2)।

3. संयुक्त कृषि भवन का निर्माण आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार, पटना द्वारा किया जा रहा है। निर्माण एजेन्सी द्वारा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार की है। जिसमें संरचनात्मक निरूपण, चहारदिवारी निर्माण, पहुँचपथ आदि, जलापूर्ति, विद्युत कार्य एवं अन्य सभी कार्यों का विस्तृत विवरण दिया गया है। भवन निर्माण कार्य एवं परिसर के विकास के सभी कार्यों के लिए संवेदक/कार्यान्वयन एजेंसी जिम्मेवार होगा। परियोजना के निर्मित भवन/परिसर के पाँच वर्षों तक रख-रखाव की जिम्मेवारी संबंधित संवेदक/ की उक्त योजना के नियंत्री पदाधिकारी कृषि निदेशक, बिहार होंगे।

4. आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार को अनुदान के रूप में स्वीकृत राशि की निकासी कृषि निदेशक, बिहार, पटना के द्वारा सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से बी0टी0सी0-42 पर की जायेगी। आधारभूत संरचना प्राधिकार से पूर्व प्राप्ति रसीद विपत्र के साथ संलग्न की जायेगी। आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार द्वारा राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र महालेखाकार, बिहार तथा कृषि विभाग को भेजी जायेगी। महालेखाकार को अंकेक्षण का अधिकार होगा। कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा परियोजना के लिए अलग से लेखा संधारण किया जायेगा।

5. योजना कार्यान्वयन के संबंध में आवश्यकता होने पर यथा आवश्यक संशोधन कृषि विभाग द्वारा किया जायेगा।

6. योजना के नोडल पदाधिकारी संयुक्त निदेशक (रसायन), मिट्टी जाँच प्रयोगशाला, बिहार, पटना एवं राज्य स्तर पर कृषि निदेशक द्वारा नियमित रूप से योजना कार्यान्वयन की समीक्षा की जायेगी एवं योजना का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा।

7. बजट शीर्ष एवं बजट उपलब्धता निम्न प्रकार है, (राशि लाख रु० में)

बजट शीर्ष	उपबंधित राशि	कुल स्वीकृत राशि	वर्ष 2017-18 में निकासी हेतु स्वीकृत राशि	वर्ष 2018-19 में निकासी हेतु स्वीकृत राशि
4401-फसल कृषि कर्म पर पूँजीगत परिव्यय, उप मुख्य शीर्ष-00, लघु शीर्ष-051-निर्माण, मांग संख्या-01, उपशीर्ष-0101-कृषि कार्यालय भवनों की स्थापना, विपत्र कोड- 01-4401000510101, विषय शीर्ष-0101.53.01 मुख्य निर्माण कार्य	2490.00	6410.50	2490.00	3920.50
4401- फसल कृषि कर्म पर पूँजीगत परिव्यय, उप मुख्य शीर्ष- 00, लघु शीर्ष-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, मांग संख्या-01, उपशीर्ष-0101-कृषि कार्यालय भवनों की स्थापना, विपत्र कोड- 01-4401007890101, विषय शीर्ष-0101.53.01 मुख्य निर्माण कार्य	480.00	1235.76	480.00	755.76
4401- फसल कृषि कर्म पर पूँजीगत परिव्यय, उप मुख्य शीर्ष-00, लघु शीर्ष-796- जनजातीय क्षेत्रीय उप योजना, मांग संख्या-01, उपशीर्ष- 0101-कृषि कार्यालय भवनों की स्थापना, विपत्र कोड- 01-4401007960101 विषय शीर्ष-0101.53.01 मुख्य निर्माण कार्य	30.00	77.23	30.00	47.23
कुल	3000.00	7723.49	3000.00	4723.49

8. वित्त विभाग के संकल्प संख्या-3758 दिनांक 31.05.2017 में निहित प्रावधान के आलोक में माननीय मंत्री, कृषि का अनुमोदन दिनांक- 28.11.2017 को पृ0सं0-53/टि० पर प्राप्त है एवं मंत्रिपरिषद की स्वीकृति दिनांक-11.12.2017 की बैठक में संचिका संख्या- पी०पी०एम०-09/2012 के पृ0सं0-58/टि० पर प्राप्त है।

9. वित्त विभागीय परिपत्र संख्या- 7355 वि० (2) दिनांक 05.10.2007 के आलोक में महालेखाकार, बिहार, पटना से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

10. राज्यादेश में आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या- पी०पी०एम०-09/2012 के पृ0सं0-60/टि० पर दिनांक: 20.02.2017 को प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,


(Handwritten Signature)
1.1.2018

(सुधीर कुमार)

प्रधान सचिव,


कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक- पी०पी०एम०-09/2012- 08 /कृ०, पटना दिनांक-02-01-2018
प्रतिलिपि:- प्रभारी पदाधिकारी, अंकेक्षण, महालेखाकार (ले. एवं ह.), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ,
पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


1-1-2018


प्रधान सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक- पी०पी०एम०-09/2012- 08 /कृ०, पटना दिनांक-02-01-2018
प्रतिलिपि:- योजना एवं विकास विभाग/मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग एवं वित्त विभाग, बिहार, पटना
को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


1-1-2018


प्रधान सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक- पी०पी०एम०-09/2012- 08 /कृ०, पटना दिनांक-02-01-2018
प्रतिलिपि:- सभी संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


1-1-2018


प्रधान सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक- पी०पी०एम०-09/2012- 08 /कृ०, पटना दिनांक-02-01-2018
प्रतिलिपि:- प्रधान सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना/निदेशक (कार्यक्रम कार्यान्वयन),
आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


1-1-2018

प्रधान सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक- पी०पी०एम०-09/2012- 08 /कृ०, पटना दिनांक-02-01-2018
प्रतिलिपि:- माननीय मंत्री, कृषि के आप्त सचिव/कृषि उत्पादन आयुक्त के प्रधान आप्त
सचिव/प्रधान सचिव, कृषि विभाग के आप्त सचिव/ कृषि निदेशक/निदेशक, पी०पी०एम०/जिला कृषि
पदाधिकारी, पटना/संयुक्त निदेशक (रसायन), मिट्टी जाँच प्रयोगशाला, मीठापुर, पटना/ बजट एवं
योजना शाखा, सचिवालय एवं कृषि निदेशालय, कृषि विभाग, बिहार, पटना/उप निदेशक (शष्प) सूचना,
बिहार, पटना को (विभाग के वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


1-1-2018

प्रधान सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

उपि

अनुसूची -1

9

बिहार, सरकार
भवन निर्माण विभाग, पटना।

पत्रांक:-भवन/निरूपण-2-16/12.....5593 (ख)^m

प्रेषक,

सुधीर कुमार,
प्रधान सचिव।

सेवा में,

सचिव,
कृषि विभाग,
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक-18 /07/2012

कृ. वि. वि. वि.

विषय:- मीठापुर परिसर में संयुक्त कृषि भवन तथा आवासीय भवन के निर्माण के संबंध में।

प्रसंग:- आपका पत्रांक 1050/कृ0, पटना दिनांक-22.02.2012

महाशय,

आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार, बिहार, पटना द्वारा गठित विषयाधीन कार्य प्राक्कलन पर मुख्य अभियंता (नि0), भवन निर्माण विभाग, द्वारा ₹ 105.65 करोड़ (एक सौ पाँच करोड़ पैंसठ लाख रुपये) की तकनीकी अनुमोदन प्रदान किया गया है। तकनीकी अनुमोदन के साथ प्राक्कलन की प्रतियोगिता कार्रवाई हेतु भेजी जाती है।

अनु0:-यथोक्त।

विश्वासभाजन

48
16/7
(सुधीर कुमार)
प्रधान सचिव।

अ. वि. वि.
20/7

20/7/12

सचिव कृषि विभाग

20.07.12

दिनांक

Construction of proposed Combined Building, Training Centre & Residential Block
for State Level and Patna (H.Q) on Plinth Area Rate,

<u>S.NO.</u>	<u>ITEM</u>	<u>AMOUNT (₹)</u>
1.	Cost of Building & Other Works	9,70,488,000.00
2.	Contingency @.1% up to 100 lacs. @ 0.05% above 100 lacs.	1,00,000.00 4,85,1940.00
3.	Add for I.D.A Charge @ 5%	4,85,244,00.00
4.	Design Consultancy Charge @ 1.60%	1,55,278,08.00
5.	Add for Supervision Charge @ 1.75%	16,983,12.00
Total=		10,564,756,88.00
		say Rs. 10565.00 Lacs.

(Rupées Ten thousand five hundred sixty five lacs only.)

NOTES:-

1. Estimate is based on drawings prepared by Design Associates Inc New Delhi and supplied by IDA, Bihar subject to approval of administrative department.
2. Estimate based on CPWD Plinth Area Rate 2007 and Cost Index applicable for Patna.
3. 10% extra cost shall be applicable if approval is granted after 6 months.
4. Revision of estimate shall be required after 12 months.
5. Amount for item no. (3), (4) and (5) permissible only after approval of administrative department.

[Signature]
12.7.12
J.E.

Adv. Planning Division-2,
B.C.D, Patna.

[Signature]
13/7/12
E.E.

Adv. Planning Division-2,
B.C.D, Patna.

[Signature]
13/7/12
S.E.

Adv. Planning Circle,
B.C.D, Patna.

Technically approved for Rs 105.65 crores (Rupees
One Hundred Five Crores Sixty Five Lacs) only.

[Signature]
16/7/12
Chief Engineer (Design)
B.C.D., Patna

